प्रेषक,

प्रभुनाथ

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2022

विषय- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अन्तर्गत नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग के चालू कार्य हेतु लैप्स धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-201/31पी.जे.(आ0)/आरएसडी-5/20, दिनांक 28.02.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-66/2020/287/23-9-2020-12नाबार्ड(स0मा0)/ 2019, दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा जनपद सोनभद्र के 02 कार्यों हेतु प्रथम किस्त के रूप में आवंटित धनराशि व्यपगत (लैप्स) हो गयी, की सूचना देते हुए जनपद सोनभद्र के 02 कार्यों हेतु प्रथम किस्त के रूप में आवंटित धनराशि में से व्यपगत (लैप्स) धनराशि रू0 80.50 लाख का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 19 मार्च, 2020 द्वारा स्वीकृत जनपद सोनभद्र के 02 कार्यों हेतु लैप्स धनराशि रू0 80,50,000/- (रूपये अस्सी लाख पचास हजार मात्र) को निम्नलिखित सूची के स्तम्भ-9 के अनुसार अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्रमशः....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्य का नाम	शा0सं0	स्वीकृत लागत	03/2021 तक आवंटित धनराशि	वर्ष 2021-22 में आवंटित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यपगत धनराशि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यपगत धनराशि का आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**सोनभद्र**	चोपन कोटा कोन खरौदी मार्ग (अ0जि0मा0) कि0मी0-32 के दांयी तरफ घघिया मिटिहिनिया मेन रोड के कि0मी0 4(100) से सिन्होनवादामर प्रा0वि0 तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य एंव 1X3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कलवर्ट	66/2020/ 287/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0//2019, दि0 19.03.2020	102.40	40.96	60.59	40.50	40.50
2	**सोनभद्र**	चोपन कोटा कोन खरौदी मार्ग (अ0जि0मा0) कि0मी0-33 से बांयी तरफ लोहवे ग्राम के कि0मी0-0(400) से बायें लोहवे से बिछलागड़ई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य एंव 1X3 मी0 स्पान आर0सी0सी0 कलवर्ट	66/2020/ 287/23-9-2020-12नाबार्ड (स0मा0//2019, दि0 19.03.2020	100.15	40.06	58.62	40.00	40.00
			कुल योग-	**202.55**	**81.02**	**119.21**	**80.50**	**80.50**

2- उक्त धनराशि केवल उल्लिखित परियोजना पर ही मानक एवं विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

3- नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर उन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

4- विभाग द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर धनराशि नाबार्ड की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराया जाय।

क्रमश-.....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में वित्तीय स्वीकृतियों निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- संलग्न तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

7- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़कें, 337-सड़क निर्माण कार्य, 64-नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गो/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था (जिला योजना), 00, 24-वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्राविधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव

<u>संख्या उपरोक्त एवं तददिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ / वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6- संबंधित अधिशासी अभियन्ता/ कोषाधिकारी।
7- लोक निर्माण अनुभाग-10।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

shasanadesh.up.nic.in